भारत सरकार

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3943**

जिसका उत्तर 12 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।

21 श्रावण, 1948 (शक)

## डीआरडीपी अधिनियम, 2023 के अंतर्गत नियमों का कार्यान्वयन

**3943. श्रीमती जून मालियाः**

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत कार्यान्वयन नियमों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसे लागू और प्रवर्तन करने की समय-सीमा क्या है; और

(ग) नागरिकों के आंकड़ों के दुरुपयोग और साइबर हमलों से बचाने के लिए सुनिश्चित किए जा रहे सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री**

**(श्री जितिन प्रसाद)**

**(क) से (ग):** भारत सरकार की नीतियों का उद्देश्य देश में उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह साइबर स्पेस सुनिश्चित करना है। भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) को लागू करने, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन) की स्थापना करने, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी करने और डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) के अधिनियमन जैसी प्रमुख पहल की हैं, इस प्रकार भारत में उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और गोपनीयता की रक्षा सुनिश्चित की है।

**<u>सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम):</u>**

(i) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन, कम्प्यूटर संसाधनों के संरक्षण, साइबर सुरक्षा, मध्यस्थ ड्यू डिलिजेंस और साइबर अपराधों को शासित करने वाला एक प्रौद्योगिकी-तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है।

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 एक सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह ऑनलाइन वातावरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्तियों सहित मध्यवर्तियों के लिए समुचित सावधानी बरतने संबंधी दायित्व तय करते हैं।

**<u>डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 (डीपीडीपी अधिनियम):</u>**

(i) डीपीडीपी अधिनियम 2023 में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण का इस तरह से प्रावधान किया गया है जो व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकारों और वैध उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता दोनों को मान्यता देता है।

(ii) 13 नवंबर, 2025 को अधिसूचित अधिनियम और डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियम, 2025 ("नियमावली") में डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना सहित अठारह महीने की संक्रमण अवधि में इसके प्रावधानों के चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक समयरेखा प्रदान की गई है। ये नियम निम्नलिखित कार्यान्वयन समयसीमा निर्दिष्ट करते हैं:

- चरण 1: भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना और संचालन
- चरण 2 (एक वर्ष के भीतर): सहमति प्रबंधकों का पंजीकरण और कामकाज
- चरण 3 (अठारह महीनों के भीतर): डेटा प्रत्ययी के लिए अनुपालन दायित्व, जिसमें डेटा प्रमुख अधिकार, सुरक्षा सुरक्षा उपाय और उल्लंघन अधिसूचना शामिल हैं।

(iii) इस अधिनियम में व्यक्तिगत डेटा का विधिसम्मत प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए सभी डेटा न्यासियों से अपेक्षा की गई है। यह पारदर्शिता, उद्देश्य सीमा, डेटा न्यूनीकरण, सटीकता, संरक्षा सुरक्षोपायों और डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों के सम्मान से संबंधित स्पष्ट दायित्वों को निर्धारित करता है।

(iv) इसके लिए डेटा फिड्यूशरीज़ को मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करने, सहमति वापस लेने पर व्यक्तिगत डेटा को मिटाने (जब तक कि कानूनी रूप से डेटा को बनाए रखना आवश्यक न हो) और संक्रमण अवधि के भीतर अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

(v) इन नियमों में यह भी अपेक्षित है कि वे व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करने और उल्लंघनों को रोकने के लिए डेटा न्यासियों को उपयुक्त तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा उपायों, जैसे एन्क्रिप्शन या मास्किंग को अपनाएं। अधिनियम में अधिनियम के उल्लंघनों को दूर करने के लिए डेटा संरक्षण बोर्ड की परिकल्पना की गई है। यह उल्लंघनों की जांच कर सकता है, सुधारात्मक निर्देश जारी कर सकता है और दंड लगा सकता है। दंड का निर्धारण उल्लंघन की प्रकृति, नुकसान के कारण, सुरक्षा उपायों, गंभीरता और पुनरावृत्ति जैसे कारकों के आधार पर किया जाना है।

(vi) व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की स्थिति में, डेटा न्यासी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रभावित डेटा प्रिंसिपलों और भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड को तुरंत सूचित करें। उल्लंघन की सूचना प्राप्त होने पर, डेटा संरक्षण बोर्ड जांच कर सकता है और अधिनियम के अनुसार मौद्रिक दंड लगा सकता है।

(viii) बोर्ड को उल्लंघनों की जांच करने, सुधारात्मक निदेश जारी करने और उल्लंघन की प्रकृति, होने वाली हानि, सुरक्षा उपायों, गंभीरता और पुनरावृत्ति जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का अधिकार है।

**<u>जन जागरूकता गतिविधियाँ:</u>**

(i) सरकार, सूचना सुरक्षा में मानव संसाधन का निर्माण करने और नागरिकों में साइबर स्वच्छता और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सूचना सुरक्षा, शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) परियोजना कार्यान्वित कर रही है।

(ii) आईएसईए परियोजना के तहत, देश भर में 6,650 से अधिक जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, जिनमें स्कूल और कॉलेज के छात्रों, शिक्षकों, कानून प्रवर्तन कर्मियों, सरकारी अधिकारियों और आम जनता सहित 11.37 लाख से अधिक प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।

(iii) बच्चों के लिए हैंडबुक, लघु वीडियो, पोस्टर, ब्रोशर और कार्टून कहानियों सहित बहुभाषी जागरूकता सामग्री को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ-साथ आईएसईए और स्टे सेफ ऑनलाइन पोर्टल अर्थात् www.isea.gov.in और https://staysafeonline.in/ के माध्यम से विकसित और प्रसारित किया गया है ।

(iv) सरकार सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार, सुरक्षित डिजिटल लेन-देन और डिजिटल सेवाओं के उत्तरदायी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता माह और सुरक्षित इंटरनेट दिवस जैसे राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान भी आयोजित करती है।

(v) उभरते साइबर खतरों, शमनकार्यनीतियों और सर्वोत्तम पद्धतियों के संबंध में साइबर सुरक्षा परामर्शी नियमित रूप से जारी किए जाते हैं। साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग एंड मैलवेयर एनालिसिस सेंटर) और राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) जैसी पहलें दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों का पता

लगाकर और उन्हें कम करके और स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाकर साइबर लचीलापन को मजबूत करती हैं।

(vi) भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा उपायों सहित साइबर खतरों, ऑनलाइन धोखाधड़ियों और सुरक्षित ऑनलाइन पद्धतियों के बारे में इंटरनेट प्रयोक्ताओं को संवेदनशील बनाने के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से नियमित रूप से साइबर सुरक्षा और सुरक्षा परामर्श, जागरूकता पोस्टर, इन्फोग्राफिक्स और वीडियो का प्रसार करता है।

(vii) शिक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2020 में डिजिटल शिक्षा पर प्राज्ञता दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और सोशल मीडिया और डिजिटल उपकरणों के जिम्मेदार उपयोग सहित सुरक्षित और प्रभावी ऑनलाइन सीखने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की गई।

(viii) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने डिजिटल शिष्टाचार के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करके, शिक्षकों के लिए साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करके, साइबर सुरक्षा पुस्तिका का प्रकाशन करके और साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों को साइबर क्लब स्थापित करने की सलाह देकर इन प्रयासों को पूरा किया है।

(ix) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने स्कूल पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा को एकीकृत किया है, जिसमें कक्षा XI और XII के लिए सामाजिक प्रभाव पर एक अध्याय शामिल है। इसके अतिरिक्त, सीआईईटी-एनसीईआरटी ने साइबर सुरक्षा पर शैक्षिक संसाधन सामग्री विकसित और प्रसारित की है।

(x) सरकार ने कार्यशालाओं, सम्मेलनों, विशेषज्ञ सत्रों और डिजिटल आउटरीच अभियानों सहित नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों और क्षमता निर्माण पहलों के बारे में शिक्षित करके डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम के बारे में व्यापक जागरूकता और अपनाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।

*****